

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./1369/2004/उदयपुर

- 1- नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

-अपीलार्थी

-बनाम-

- 1- अमरा पुत्र रोडा
2- मोडा पुत्र लाला
समस्त जाति गमेती निवासी पानेरियों की मादड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, उदयपुर।

-प्रत्यर्थागण

खण्ड-पीठ

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य

उपस्थित:

श्री हंगामीलाल जाट, अधिवक्ता, अपीलार्थी।
श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता प्रत्यर्थागण

-निर्णय-

दिनांक:- 05 मई, 2026

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील संख्या- 283/2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08-12-2003 के विरुद्ध पेश की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0-1 व 2 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही सवीना के साबिका खसरा नम्बर 588/6 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 2113 ता 2118 रकबा 1.3600 हेक्टर पैमूद हुए है, उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। दौराने सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि बिलानाम इन्द्राज कर कालान्तर में उक्त भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त इन्द्राज को विलोपित करने एवं आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित करने की इस्तदुआ

वादपत्र के माध्यम से किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के वादपत्र को स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 18-02-2003 के माध्यम से खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा भी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर प्रथम अपील को खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील-मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके रोही सवीना के साबिका खसरा नम्बर 588/6 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 2113 ता 2118 रकबा 1.3600 हेक्टर भूमि के संबंध में वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त वादपत्र प्रस्तुत करते हुए साबिका खसरा नम्बर एवं हाल खसरा नम्बर के बाबत जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है उससे यह स्पष्ट नहीं है कि साबिका खसरा नम्बर 588/6 से कुल कितने खसरा नम्बर बने हैं तथा किस खसरा नम्बर का कितना रकबा है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के वादपत्र का मुख्य आधार ही स्वमेव विरोधाभासी है जिसका साबिका खसरा नम्बर से मिलान नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का आधार पटवारी हल्का की रिपोर्ट को लिया गया है। जोकि विधि विरुद्ध है।

4- उन्होंने आगे कथन किया कि विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06-10-2003 को निर्णय पारित करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18-02-2003 को अपास्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि पुनर्विलोकन का कोई आधार न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं था। उक्त विधिक स्थिति के बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात् को रिकार्ड पर लेते हुए बिना किसी ठोस आधार एवं दृष्टव्य त्रुटि के बिना पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 10-11-2003 को स्वीकार करते हुए पूर्ववर्ती आदेश को निरस्त करते हुए कालान्तर में आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया गया। जबकि प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर कभी भी प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा विचारण न्यायालय द्वारा मौका पर्चा फर्द को शहादत के रूप में स्वीकार कर निर्णय पारित किया गया है जबकि मौका रिपोर्ट को शहादत के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। इसी प्रकार विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व धारा 98 युआईटी एक्ट के तहत नोटिस दिया जाना आज्ञापक है, जोकि नहीं दिया गया है। इसी प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा भी आदेश 47 नियम 27 के तहत प्रस्तुत दस्तावेजात् के

खण्डन के बाबत् कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसी क्रम में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06-10-2003 को पारित निर्णय में तनकी संख्या 1 को साबित होना नहीं माना है तथा इसके विपरीत आक्षेपित आदेश में तनकी संख्या - 1 को साबित होना मान लिया गया है, जोकि स्वमेव अपने आप में विरोधाभासी कथन है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा है, नाही वादग्रस्त भूमि से प्रत्यर्थीगण का कोई सरोकार ही है। विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 588/2 के बाबत् निष्पादित विक्रय पत्रों के आधार पर वादपत्र को डिक्री किया गया है तथा जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। अतः अपीलार्थी की हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाकर वादग्रस्त भूमि पुनः नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5- विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही सवीना के साबिका खसरा नम्बर 588/6 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 2113 ता 2118 रकबा 1.3600 हेक्टर भूमि प्रत्यर्थीगण की खातेदारी भूमि रही है जिसका नामान्तरणकरण संख्या 537 एवं 569 दिनांक 10-09-1975 को स्वीकृतशुदा है। उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षों से प्रत्यर्थीगण का निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा काशत चला आ रहा है। दौराने सेटलमेंट साबिका खसरा नम्बर 588/6 के नये खसरा नम्बर पैमूद होने पर नये खसरा नम्बर 2113 ता 2118 रकबा 1.3600 हेक्टर भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त इन्द्राज को विलोपित करवाने एवं आराजी जैर का खातेदार काशतकार घोषित करने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उक्त जवाबदावे में धारा 98 युआईटी एक्ट के तहत नोटिस के संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करने के उपरान्त दादरसी सहित पाँच तनकी कायम की गई। जिसमें मुख्य तनकी 1 व 2 रही है। उक्त तनकीयात् का निर्धारण उभय पक्षों की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा करते हुए अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 588/6 के नामान्तरणकरण संख्या 567 से 569 अंकित है, जोकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज रिकार्ड है। इसी अनुरूप खसरा गिरदावरी संवत् 2042 में साबिका मूल आराजी नम्बर 588 के उपनम्बरों के साथ आराजी नम्बर 588/6 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि किस्म मगरी माताजी के मंदिर के आगे की भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होकर मक्की की काशत होना माना गया है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जे के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में भी प्रत्यर्थीगण का कब्जा 40 वर्षों से उक्त

आराजीयात् पर बताया गया है। इसी प्रकार मिलान क्षेत्रफल के संबंध में भी यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि साबिका आराजी खसरा नम्बर 588 एवं 599 बड़े नम्बर होकर आपस में मिले हुए हैं, सेटलमेंट की गलती से वादीगण के हाल खसरा नम्बर 589 से दिये गये हैं। इस प्रकार मिलान क्षेत्रफल में एक्यूरेसी नहीं मानते हुए नक्शा ट्रेस के आधार पर उक्त खसरा नम्बरान् पर कब्जा मानते हुए तनकी संख्या 1 व 2 का निर्धारण प्रत्ययीगण के पक्ष में किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्ययीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि बिना किसी सक्षम आदेश के नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज की गई है, जबकि पूर्व में उक्त भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड रही है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का कोई सरोकार भी नहीं है। प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सेटलमेंट द्वारा कारित त्रुटि एवं वादग्रस्त भूमि पर प्रत्ययीगण के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए प्रत्ययीगण के आराजी जैर पर उत्पन्न अधिकारों की सुरक्षार्थ विधि सम्मत् आदेश पारित किये गये हैं। जिनमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थी की हस्तगत द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

5- विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6- प्रस्तुत प्रकरण में कि प्रत्ययी सं0-1 व 2 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही सवीना के साबिका खसरा नम्बर 588/6 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 2113 ता 2118 रकबा 1.3600 हेक्टर पैमूद हुए हैं, उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। सेटलमेंट कार्यवाही के दरमियान आराजी जैर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम इन्द्राज कर कालान्तर में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त विधि विरुद्ध एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किये गये इन्द्राजात् को विलोपित करने एवं आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्ययी संख्या 1 व 2 के वादपत्र को स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 18-02-2003 के माध्यम से खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री के माध्यम से अपीलार्थी की प्रथम अपील को खारिज किया गया।

7- इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती होने के बावजूद भी राजस्व मण्डल जो कि राजस्व

मामलों की उच्चतर न्यायालय (Apex Court) है, के स्तर पर हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से यह देखा जाना/अभिनिर्धारित किया जाना अपरिहार्य हो जाता है कि आराजी जैर के बाबत् पक्षकारों के हक व हकूकों के संबंध में वादपत्र को विधि सम्मत तरीके से डिक्री किया गया है अथवा नहीं? एवं इसी अनुरूप अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रथम अपील को विधिनुरूप तरीके से खारिज किया गया है अथवा नहीं?

8- प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की वैधानिकता के निर्धारण हेतु सर्वप्रथम वादपत्र में अभिलिखित अभिवचनों (pleadings) को देखा जाना अपरिहार्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए मद संख्या 2 में यह अभिलिखित किया गया है कि:-

“यह कि साबिका खसरा नम्बर 588/6 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा नवीन नम्बर 2113 से 2118 रकबा 1.3600 हेक्टर बने है जो सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण क बजाय उक्त भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई।”

इसी प्रकार मद संख्या 3 में यह अभिलिखित किया गया है कि “यह कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज होने से जिलाधीश महोदय के आदेश से नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज कर दी गई है।”

इसी अनुरूप मद संख्या 5 में अनुतोष के रूप में यह चाहा गया है कि “ वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के हक में व प्रतिवादी के विरुद्ध मौजा सवीना के साबिका खसरा नम्बर 588/6 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2113 से 2118 रकबा 1.3600 हेक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित कराने की डिक्री प्रदान की जावे तथा राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी के बजाय वादीगण का इन्द्राज कराने की डिक्री प्रदान की जावे।”

9- प्रकरण में वादपत्र में अभिलिखित अभिवचनों (pleadings) के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा साबिका खसरा नम्बर 588/6 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 2113 ता 2118 पैमूद हुए है, के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग की गई है। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड जोकि वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा बतौर साक्ष्य वादपत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है, का परिशीलन किया। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि साबिक खसरा नम्बर 588/6 का नामान्तरणकरण संख्या 569 दिनांक 10-09-1975 को विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया था तथा कालान्तर में मौके उक्त भूमि पर कब्जे काशत के संबंध में तैयार खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि

वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा साबिका खसरा नम्बर 588/6 पर रहा है।

10- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादपत्र के माध्यम से साबिका खसरा नम्बर 588/6 के नवीन खसरा नम्बर 2113 ता 2118 तादादी 1.3600 हेक्टर अंकित करते हुए नवीन खसरा नम्बरान् के खातेदारी अधिकारों की मांग इस आधार पर की गई है कि उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज कर दी गई व बिलानाम दर्ज होने से जिलाधीश महोदय के आदेश से नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज कर दी गई है। वादीगण/प्रत्यर्थीगण के उपरोक्त अभिकथन के समर्थन में वादपत्र के साथ प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। उक्त मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध विभाग विभागीय निर्देशन के अनुसार मिलान क्षेत्रफल ग्राम सवीना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 2113 ता 2118 का रबका साबिका खसरा नम्बर 589/4 से पैमूद होना अंकित है। जबकि वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादपत्र के अनुसरण में ग्राम सवीना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 2113 ता 2118 का रबका साबिका खसरा नम्बर 588/6 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि बताया गया है। इस प्रकार वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा मिलान क्षेत्रफल से यह जाहिर नहीं होता है कि साबिका खसरा नम्बर 588/6 से नवीन खसरा नम्बर 2113 ता 2118 बने हो। विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में तनकी संख्या 2 विरचित की गई थी। जिसका निर्धारण करते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि साबिका खसरा नम्बर 588 एवं 589 बड़े नम्बर होकर आपस में मिले हुए हैं तथा वर्तमान में मिलान क्षेत्रफल दिया गया है उसकी एक्यूरेसी नहीं है। इसप्रकार एक तरफ तो विचारण न्यायालय स्वयं के द्वारा मिलान क्षेत्रफल को त्रुटिपूर्ण माना गया है, वहीं दूसरी तरफ उक्त मिलान क्षेत्रफल के अनुसरण में ही केवल मात्र कब्जे काशत के आधार पर साबिका आराजी से ही हाल उक्त नम्बर बने होना माना गया है। विचारण न्यायालय की मिलान क्षेत्रफल के संबंध में की गई उपर्युक्त व्याख्या स्वमेव विरोधाभासी होना पाया जाता है।

11- इसी प्रकार वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादपत्र में यह भी अभिलिखित किया गया है कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज होने से जिलाधीश महोदय के आदेश से नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रकरण में यह स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट है कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण वादपत्र में अभिलिखित उपर्युक्त अभिवचनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाये हैं। यहाँ यह अभिलिखित किया जाना भी समीचीन होगा कि वादी स्वयं पर वादपत्र में अभिलिखित कथनों को जरिये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से साबित करने का भार होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण सर्वप्रथम वादग्रस्त भूमि के साबिका खसरा नम्बर 588/6 से नवीन खसरा नम्बरान् 2113 ता 2118 पैमूद होना मिलान क्षेत्रफल के माध्यम से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं, वहीं दूसरी

तरफ वादग्रस्त भूमि वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि सक्षम स्तर से जिलाधीश महोदय के आदेश से सिवायचक दर्ज होने के कारण नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा साबिका खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बरान् सेटलमेंट की गलती से निर्मित होना मानते हुए व आराजी जैर पर वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त 40 वर्षों से मानते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा की गई है। जोकि वादपत्र एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में साबित नहीं होना पाया जाता है। प्रकरण में सर्वप्रथम विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर आराजी जैर का खातेदार काश्तकार वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को घोषित किया गया है तथा इसी अनुरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर अपीलार्थी की प्रथम अपील को खारिज किया गया है। लिहाजा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपीलार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

12- परिणामतः अपीलार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08-12-2003 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-02-2003 को निरस्त किया जाकर वादीगण/प्रत्यर्थीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया है तो उक्त इन्द्राजात् को भी विलोपित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह कविया)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य